16/04/24 पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी दीगज कार्यों मे व्यस्त है, मिसल इल्तबा होकर पत्रावली पुर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 19/04/24 को पेश हो।

19/04/24 पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी दीगज कार्यों मे व्यस्त है, मिसल इल्तबा होकर पत्रावली पुर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 02/05/24 को पेश हो।

2/5/24 … हुई। पीठासीन अधिकारी विभागीय कार्यों में व्यस्त है, मिसल इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 20/5/24 को पेश हो।

20/05/24 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। विपक्षीगण को जवाब पेश करने के अनेक अवसर देने के बावजूद जवाब पेश नहीं किया। अत: जवाब बंद किया जाता है। वकील प्रार्थी ने बहस सुनने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया जिससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य है। अत: नस्थमबंदी निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से कम हो।

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं 28/2024 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

अगराराम वगैरा बनाम चंदाराम वगैरा

पीठासीन अधिकारी –श्री विरेन्द्रसिंह भाटी आर.ए.एस

प्रार्थी वकील – श्री सारंगराम मेगवाल

**निर्णय** दिनांक – 20/05/2024

प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे कथन किया है कि **तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र फागलिया भू.अ.नि. क्षेत्र फागलिया के मौजा पांचरला के खेत खसरा संख्या 122 रकबा 10.1177 हैक्टर किस्म बारानी सोयम** स्थित है। प्रार्थी के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पडोसी है। जिनके खेत प्रार्थी के खेत के पडोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काश्त अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थी ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी के वक्त काश्त प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमी की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थी विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रेकर्ड मे दर्ज होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया की जाकर वादग्रस्त भूमि **तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र फागलिया भू.अ.नि. क्षेत्र फागलिया के मौजा पांचरला के खेत खसरा संख्या 122 रकबा 10.1177 हैक्टर किस्म बारानी सोयम** की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते है कि वो दोनो पक्षो के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते है कि किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनो पक्षो के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काश्त मे परिवर्तन किये बिना मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। नेखमबन्दी के दौरान किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो।

तहसीलदार सेड़वा को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थी के खसरें की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावें एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 20/05/24 को न्यायालय के खुले परिसर में सुनाया गया।

20/5/24

(विरेन्द्रसिंह भाटी)

उपखण्ड अधिकारी

सेड़वा

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा जिला बाड़मेर

| प्रार्थी | | विप्रार्थीगण |
|---|---|---|
| 1 अमराराम पुत्र सोभाराम 2. अमरादेवी पत्नि सालूराम 3. अर्जन पुत्र सोभाराम 4. केवाराम पुत्र हेमलाराम 5. खंगारराम पुत्र हेमलाराम 6. चेतनराम पुत्र सोभाराम 7. जीणीदेवी पत्नि ठाकरराम 8. टीकमाराम पुत्र अचलाराम 9. धापूदेवी पत्नि मेवाराम 10. पेमाराम पुत्र ठाकरराम 11. पुराराम पुत्र हेमलाराम 12. प्रताबाराम पुत्र हेमलाराम 13. पीराराम पुत्र हेमलाराम14. भीमाराम पुत्र ठाकरराम 15. मेघाराम पुत्र लालीयाराम 16. मेवाराम पुत्र हेमलाराम 17. मेवाराम पुत्र लालीया 18. मानाराम पुत्र हेमलाराम 19. लाखाराम पुत्र लालीयाराम 20. वगताराम पुत्र ठाकरराम 21. वालीदेवी पत्नि सोभाराम 22. शंकरराम पुत्र लालीयाराम 23. सवजीराम पुत्र सौभाराम 24. हदाराम पुत्र हेमलाराम 25. हेमीदेवी पत्नि खंगारराम 26. हरीराम पुत्र सोभाराम जाति कोली निवासी पांचरला, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर | बनाम | 1 चंदाराम पुत्र मालाराम 2. देवाराम पुत्र मालाराम 3. पूराराम पुत्र हमीराराम 4. मंगलाराम पुत्र मालाराम 5. शंकराराम पुत्र मालाराम 6. रतनीदेवी पत्नि मालाराम 7. चंदाराम पुत्र पन्नाराम 8. सूरीदेवी पत्नि राजाराम 9. हेमाराम पुत्र खीमाराम 10. चौथाराम पुत्र तगाराम 11. दजाराम पुत्र पन्नाराम 12. देमा पत्नि पन्नाराम 13. पारबती पत्नि विरधाराम 14. पारबती पत्नि तगाराम 15. भगाराम पुत्र पन्नाराम 16. शंकरराम पुत्र तगाराम 17. सुखाराम पुत्र पन्नाराम 18. अनाराम पुत्र नवलाराम 19. खंगारराम पुत्र नवलाराम 20. जनीदेवी पत्नि गिरधारी 21. नगाराम पुत्र गिरधारीराम 22. निम्बाराम पुत्र गिरधारी 23. मेवाराम पुत्र नवलाराम 24. रामचंद पुत्र गिरधारीराम 25. सरदाराराम पुत्र नवलाराम 26. अचलाराम पुत्र वरजांग 27. चमनाराम पुत्र वरजांग 28. पुरखाराम पुत्र सूराराम 29. पारूदेवी पत्नि सूराराम 30. भोजाराम पुत्र भाणियाराम 31. मगाराम पुत्र वरजांगराम 32. शंकराराम पुत्र वरजांगराम 33. सुरताराम पुत्र वरजांगराम जाति कोली निवासी पांचरला तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर |

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज.भू. राजस्व अधिनियम वास्ते नेखमबंदी बाबत्।**

राजस्व आवेदन संख्या 28/2024 दिनांक : 20/05/2024

## आदेश

तहसीलदार सेड़वा को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में **तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र फागलिया भू.अ.नि. क्षेत्र फागलिया के मौजा पांचरला के खेत खसरा संख्या 122 रकबा 10.1177 हैक्टर किस्म बारानी सोयम** के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा नेखमबंदी की पालना 15 दिवस में अवश्य पेश करें। नेखमबंदी के दौरान किसी बिन्दु पर किसी प्रकार निर्माण होने की स्थिति में उस बिन्दु पर नेखम स्थापित नहीं किया जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहसीलदार दोनों पक्षों को नोटिस जारी करने के उपरान्त ही नेखमबंदी की कार्यवाही करेंगें।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाना से इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।

20/5/24

(विरेन्द्रसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी
O/C सेड़वा

क्रमांक/भू.अ./2024/ 2044-47

दिनांक 28/05/2024

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ–

1. तहसीलदार सेड़वा।
2. प्रार्थी अमराराम पुत्र सोभाराम वगैरा ।
3. विप्रार्थीगण चदाराम पुत्र मालाराम वगैरा।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना सेड़वा/चौहटन/बाखासर/बीजराड़/धोरीमन्ना/धनाउ।

20/5/24

उपखण्ड अधिकारी
O/C सेड़वा